राजस्थान सरकार

आयोजना विभाग

क्रमांक. एफ 17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2015/पार्ट–2/ दिनांक 19.11.15

जिला कलेक्टर एवं जिला भामाशाह प्रबंधक,
समस्त राजस्थान।

विषयः– ई–मित्र के माध्यम से भामाशाह कार्ड वितरण बाबत्।

संदर्भः – क्रमांक. एफ 17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2015/पार्ट–2, दिनांक– 08.10.2015.

महोदय,

संदर्भित पत्र के माध्यम से भामाशाह योजना के अन्तर्गत जारी भामाशाह कार्ड के वितरण के कार्य को गति प्रदान करने के लिए वितरण कार्य ई–मित्र के माध्यम से प्रारम्भ करवाया गया था। इस प्रक्रिया के तहत निवासी के बायोमैट्रिक निशान लेकर उसे कार्ड जारी किया जा रहा था। लेकिन कई बार निवासी के उँगलियों के निशान मशीन द्वारा नहीं पढ़ पाने के कारण बायोमैट्रिक सत्यापन नहीं हो पाता था जिसके कारण निवासियों को बिना कार्ड प्राप्त किए ही निराश लौटना पड़ रहा था। अतः इस संबंध में निर्णय लिया गया है कि अब ई–मित्र धारक भामाशाह कार्डों का वितरण बायोमैट्रिक सत्यापन के साथ–साथ निवासी के मोबाइल पर ओ. टी. पी. (One Time Password) प्राप्त करवा कर भी करा सकेंगें। इस सम्बन्ध में यह निर्देशित किया जाता है कि संदर्भित पत्र में जारी दिशानिर्देशों के अतिरिक्त निम्नलिखित दिशानिर्देशों का भी पालन ई–मित्र संचालक द्वारा सुनिश्चित कराया जाए–

1. भामाशाह कार्ड प्राप्त करने के पश्चात ई–मित्र संचालक इन कार्डों को पहले सामान्य प्रक्रिया (बायोमैट्रिक सत्यापन के माध्यम से) से ही वितरित करने का प्रयास करेगा।
2. निवासी के उँगलियों के निशान मशीन द्वारा नहीं पढ़ पाने की स्थिति में एक पॉप–अप अपने आप खुलेगा जो ई–मित्र संचालक को ओ. टी. पी. (One Time Password) के विकल्प को अपनाने के लिए कहेगा कि एक द्वितीय विकल्प स्क्रीन पर उपलब्ध है। जैसे ही ई–मित्र संचालक ओ के करेगा द्वितीय विकल्प खुला मिलेगा।
3. इस प्रक्रिया के प्रथम चरण में ई–मित्र संचालक निवासी का मोबाइल नम्बर दर्ज कर ओ. टी. पी. भेजेगा।
4. द्वितीय चरण में निवासी के मोबाइल पर ओ. टी. पी. आते ही ई–मित्र संचालक उसे पुनः भामाशाह पोर्टल पर सत्यापन हेतु दर्ज करेगा और सत्यापित होते ही कार्ड निवासी को दे देगा।
5. यदि किसी निवासी का पूर्व में मोबाइल नम्बर दर्ज नहीं है तो कार्ड प्राप्ति के समय ई–मित्र संचालक निवासी का मोबाइल नम्बर दर्ज कर व ओ.टी.पी. प्राप्त कर कार्ड वितरित करेगा।
6. भामाशाह कार्ड प्राप्ति रसीद पर निवासी के हस्ताक्षर प्राप्त करेगा तथा उसके मोबाइल नम्बर भी रसीद पर लिखवाएगा। तत्पश्चात निवासी से सम्बन्धित भामाशाह कार्ड उसे हस्तान्तरित कर देगा।

7. ई–मित्र संचालक पूर्व की भाँति ही निवासी द्वारा हस्ताक्षरित रसीदों को विधिवत संधारित कर उन्हें ब्लॉक भामाशाह अधिकारी या कार्ड वितरण प्रभारी को सौंपेगा।

उपरोक्त विवरणानुसार आप अपने जिले के ब्लॉकों में भामाशाह कार्ड वितरण के प्रभारी को आदेशित करने का श्रम करें कि वे अपने क्षेत्र के ई–मित्रों को इस प्रक्रिया से अवगत कराएँ तथा वितरण के लिए लम्बित कार्डों को शीघ्र वितरित कराना सुनिश्चित करें।

(अखिल अरोरा)
शासन सचिव, आयोजना

क्रमांक. एफ 17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2015/पार्ट–2/ दिनांक 19.11.15

प्रतिलिपिः–

01. अतिरिक्त जिला कलेक्टर/उप खण्ड अधिकारी/विकास अधिकारी, समस्त जिले।
02. एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक), समस्त जिले।
03. उप निदेशक/सहायक निदेशक/ब्लॉक भामाशाह अधिकारी, समस्त जिले।

(ओम प्रकाश बैरवा)
निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी
विभाग